



Neutral Citation No. - 2026:AHC:55455-DB

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट सी याचिका संख्या - 7776 वर्ष 2026

नरेंद्र पांडे और 6 अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 4 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: अभिषेक कुमार यादव, भोला नाथ यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 21

माननीय न्यायमूर्ति महेश चन्द्र त्रिपाठी

माननीय न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता श्री भोला नाथ यादव और राज्य प्रतिवादियों के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री देवेश विक्रम की दलीलें सुनी गईं।

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



2. याचिकाकर्ताओं ने निम्नलिखित राहत के लिए यह रिट याचिका दायर की है:-

i. कार्यकारी अभियंता, निर्माण प्रभाग 3, पीडब्लू आज़मगढ़ द्वारा दिनांक 12.12.2025 को पारित विवादित आदेश को रद्द करने के लिए सर्टिओरारी प्रकृति की रिट, आदेश या निर्देश जारी करें (रिट याचिका का अनुलग्नक संख्या 1) रिकॉर्ड मंगवाएं।

ii. एक रिट, आदेश या निर्देश जारी किया जाए जो इस प्रकार का हो: प्रतिवादियों को आदेश और निर्देश दिया जाए कि वे याचिकाकर्ता को भूमिधारी भूमि पर देय मुआवजे और अन्य लाभों का भुगतान करें, जिस पर सड़क का निर्माण भूमि अधिग्रहण किए बिना और अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार मुआवजा दिए बिना किया गया है, और यह भुगतान माननीय न्यायालय द्वारा निर्धारित अवधि के भीतर किया जाए।”

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने पुरजोर तर्क दिया है कि विवादित आदेश स्वतः ही अस्थिर है क्योंकि इसमें कोई कारण नहीं बताया गया है और केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सैयद मकबूल अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य के मामले में सिविल अपील संख्या 2913-2914 दिनांक 04.04.2011 को दिए गए फैसले पर आधारित एक संक्षिप्त टिप्पणी की गई है, जो (2011) 4 एससीआर 238 में प्रकाशित है। यह भी देखा गया है कि ग्रामीण सड़क के निर्माण के मामले में मुआवजे के प्रावधान के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। विद्वान अधिवक्ता ने दिनांक 09.12.2022 की रिपोर्ट पर भी भरोसा जताया है, जो कि याचिका के अनुलग्नक-5 के रूप में संलग्न है। इस रिपोर्ट में विभाग ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि सड़क चौड़ीकरण में याचिकाकर्ताओं की भूमि, जिनका अराज़ी संख्या 966, 967, 969 और 1039 पर पूर्ण अधिकार, स्वामित्व और दावा है, का उपयोग किया गया है। एक बार जब याचिकाकर्ताओं की भूमि का

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



उपयोग प्रतिवादी प्राधिकरण द्वारा कर लिया गया है, तो किसी भी तरह से, याचिकाकर्ताओं के दावे को केवल विलंब और लापरवाही के आधार पर खारिज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि मौके पर तथ्यों की जाँच करने और पर्याप्त मुआवजा देने के बजाय, याचिकाकर्ताओं के दावे को मनमाने ढंग से खारिज कर दिया गया है।

4. इसके विपरीत, राज्य प्रतिवादियों के विद्वान अतिरिक्त मुख्य स्थायी अधिवक्ता ने राहत का विरोध किया है और उनका कहना है कि याचिकाकर्ता पुराने और निष्फल दावे को पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रहे हैं। यह स्वीकार किया जाता है कि सड़क अस्तित्व में थी क्योंकि यह ग्रामीण क्षेत्र में स्थित थी और ऐसा कुछ भी रिकॉर्ड पर नहीं लाया गया है जिससे यह पता चले कि याचिकाकर्ताओं की भूमि का उपयोग सड़क चौड़ीकरण के लिए किया गया है। केवल 09.12.2022 की रिपोर्ट के आधार पर दावे को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। हालांकि, उनका यह कहना उचित है कि इस विवादित पहलू की जांच जिला स्तरीय समिति द्वारा की जा सकती है, जिसका गठन 12.05.2016 के सरकारी आदेश के तहत किया गया है।

5. तथ्यों और परिस्थितियों तथा मांगी गई राहत पर विचार करते हुए, हम प्रथम दृष्टया इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि विवादित आदेश स्वतः ही अमान्य है क्योंकि आजमगढ़ के कार्यपालक अभियंता, पीडब्लू डी. ने केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **सैयद मकबूल अली (उपरोक्त)** मामले में दिए गए निर्णय पर भरोसा किया है और विवादित आदेश में कोई कारण नहीं बताया गया है। ऐसे किसी तर्क के अभाव में, विवादित आदेश को मान्य नहीं रखा जा सकता। तदनुसार, दिनांक 12.12.2025 का विवादित आदेश रद्द किया जाता है। मामले को जिला स्तरीय समिति को भेजा जाता है, जो दिनांक 12.05.2016 के सरकारी आदेश के तहत गठित की गई है, जो याचिकाकर्ताओं के दावे की जांच करे और संबंधित जिला मजिस्ट्रेट को रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जो जिला स्तरीय

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



समिति के अध्यक्ष हैं। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि जिला स्तरीय समिति इस याचिका में चुनौती दिए गए आदेश से प्रभावित नहीं होगी और कानून के अनुसार स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करेगी।

6. उपरोक्त टिप्पणियों के साथ, यह रिट याचिका **खारिज** की जाती है।

(न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह) (न्यायमूर्ति महेश चंद्र त्रिपाठी)

18 मार्च, 2026

सुमित एस

अस्वीकरण:- अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।